IV 57/2018

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 317957

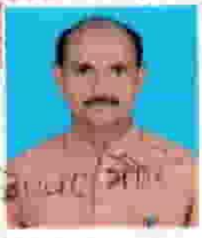

चन्द्रशेखर मौर्य

ट्रस्ट डीड–न्यास पत्र

यह न्यास अभिलेख आज दिनांक 19-12-2018 को **चन्द्रशेखर मौर्य पुत्र स्व0 बलिराम मौर्य** निवासी ग्राम व पो0 करही, तह0मुहम्मदाबाद गोहना,जनपद–मऊ द्वारा निष्पादित किया गया है।

1. ट्रस्ट का नाम :: **श्यामपति बलिराम मौर्य कालेज ऑफ एजुकेशन**

2. ट्रस्ट का पता :: ग्राम मालव,पो0 करही,तह0मुहम्मदाबाद गोहना,जनपद–मऊ

(क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का प्रस्तावित कार्यालय ग्राम मालव,पो0 करही,तह0मुहम्मदाबाद गोहना,जनपद–मऊ है, अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।)

3. ट्रस्ट में लगाया गया धन

ट्रस्ट में लगाया गया धन 5100 रुपये (पाँच हजार एक सौ रुपये) नगद धनराशि **चन्द्रशेखर मौर्य पुत्र स्व0 बलिराम मौर्य** द्वारा ट्रस्ट के लिये समर्पित की गयी है। भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार एक ऐसा आभार है जो सम्पत्ति के स्वामित्व को आबद्ध होता है। जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा।

चन्द्रशेखर मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs. 100

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — EN 317958

4. ट्रस्ट के तत्व

मुख्य ट्रस्टी/सचिव/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है। ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है। ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है और प्रत्येक ट्रस्ट के लिये हितकारियों का होना आवश्यक होता है। ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा। इस प्रकार ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी सम्पत्ति तथा सम्पत्ति का स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज –

1– न्यास की स्थापना के समय हम मुकिर द्वारा ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे जिसे बोर्ड आफ ट्रस्टी अथवा प्रबंधकारिणी कहा जायेगा जो ट्रस्ट द्वारा समस्त प्रतिष्ठानों का संचालित एवं नियोजित करेगा। नामित व्यक्तियों का विवरण निम्न है –

1	चन्द्रशेखर मौर्य पुत्र स्व0 बलिराम मौर्य, ग्राम व पो0 करहाँ जनपद–मऊ	मुख्य ट्रस्टी/ ट्रस्टीकर्ता/ सचिव/ प्रबन्धक/ संस्थापक ट्रस्टी
2	चन्द्रजीत मौर्य पुत्र स्व0 बलिराम मौर्य, ग्राम व पो0 करहाँ जनपद–मऊ	ट्रस्टी/अध्यक्ष
3	सुलेखा मौर्या पत्नी श्री चन्द्रशेखर मौर्य, ग्राम व पो0 करहाँ जनपद–मऊ	ट्रस्टी/ कोषाध्यक्ष
4	अदिति मौर्या पुत्री स्व0 बलिराम मौर्य, ग्राम व पो0 करहाँ जनपद–मऊ	ट्रस्टी/सदस्य

चन्द्रशेखर मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 317959

5.	इन्द्रजीत मौर्य पुत्र स्व0 अतिराम मौर्य, ग्राम व पो0 करहाँ,जनपद–मऊ	ट्रस्टी / सदस्य
6.	सरिता मौर्या पत्नी श्री इन्द्रजीत मौर्य, ग्राम व पो0 करहाँ,जनपद–मऊ	ट्रस्टी / सदस्य

2–यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबंधक यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है । जिसमें कि अधिकतम इक्कीस सदस्य होंगे ।

3– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबंधक की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है ।

4– यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबंधक जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है । जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक स्वयं करेगा ।

5– यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किए गये किसी भी सुझाव को मानना , स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।

5. ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाए प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा

चन्द्रशेखर मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EN 317960

संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इन्जीनियरिंग कालेजों को इस ट्रस्ट से समायोजित कर संचालन करना व आवश्यकता पड़ने पर क्रय–विक्रय व अन्य शिक्षण संस्थाओं का आपस में विलय करना व क्रीड़ा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीड़ा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए यथासम्भव कार्य करना, संस्थाओं की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा यथासम्भव प्रयास करना ट्रस्ट भूमि भवन व पूंजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के सब कुचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाई गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र, आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी, कलाकेन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवी आपदा में जिला राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधन से समय–समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय–विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी०टी०सी०(डी०एल०एड०),बी०एल०एड०, आई०टी०आई०, बी०एड०,

चन्द्रशेखर मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EN 317961

बी0पी0एड0 कालेज, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0, पालीटेक्नीक, इन्जीनियरिंग, फार्मेसी–एलोपैथिक,होमियोपैथिक,आयुर्वेदिक व यूनानी, मैनेजमेन्ट, सीसीसी, ओ लेवल, लॉ कालेज, बायोटेक्नोलॉजी, कामर्स, नैनो टक्नोलॉजी, स्पोर्ट, संगीत कालेजों / स्कूल,विकलांग विद्यालय की स्थापना तथा उसका संचालन करना। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश–विदेश से चन्दा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर–सरकारी संगठन (एन.जी. ओ.) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संबंध कार्यो का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उनके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा–आश्रम, अनाथालय, वृद्ध–आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, तकनीकी, प्राशिक्षिण, चिकित्सकीय संस्थाओं आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं उनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रास लीला, रामलीला, मेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर,बौद्ध विहारों व मठों आदि की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों, बुराईयों, अन्धविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं को समय–समय से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्ति (पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का

चन्द्रशेखर मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EN 317962

उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं हाम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बालविकास एवं पुष्टाहार, श्रम, मत्स्य एवं खनिज कर्म, खेल-कूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमिविकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायतीराज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायतीराज, बैंकिंग, भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जन सम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्त्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, स्वच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियाँ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट-सेंसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान,वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आंतरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिण्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर

चन्द्रप्रभा मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EN 317963

तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा–13(1) तथा धारा–11(5) एवं संबंधित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना। हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, कृषि कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
प्राविधिक, तकनीकी, चिकित्सा व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों / निजी विश्वविद्यालय केन्द्रों आदि की स्थापना एवं उसका संचालन करना।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10 / 23 व 35एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

6. ट्रस्ट कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

7. ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य

1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा किया गया धन एवं दान आदि की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खाता किसी भी बैंक में जमा की जायेगी जो

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 317964

जनहित तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायगी। धनराशि के लेन-देन करने तथा बैंक खाता के संचालन मुख्य ट्रस्टी/सचिव तथा कोषाध्यक्ष

के किसी एकल अथवा संयुक्त रूप से किया जायेगा अथवा मुख्य ट्रस्टी द्वारा नामित किसी ट्रस्टी/सदस्य द्वारा किया जायेगा।

2. इस ट्रस्ट द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति एवं उसका संचालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।

3. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा कोई भी संस्था समाप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायगी।

8. ट्रस्टियों की नियुक्ति

सभी ट्रस्टी आजीवन सदस्य होंगे, किसी भी सदस्य के मृत्यु उपरान्त बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 2/3 बहुमत के आधार पर नये ट्रस्टी को सम्मिलित कर सकता है जिसके लिये शुल्क पाँच लाख रूपये होगा। यह नियम संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नहीं होगा। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी/सचिव/प्रबन्धक अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुख्य ट्रस्टी/सचिव/प्रबन्धक अपने पुत्र अथवा पुत्री अथवा उनके उत्तराधिकारी का नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार स्वतः प्रदत्त होगा, मुख्य ट्रस्टी के स्वाभाविक/आकस्मिक मृत्यु पर उसका विधिक उत्तराधिकारी इस ट्रस्ट का स्वतः मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव हो जायेगा।यदि मुख्य

चन्द्रशेखर मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EN 317965

ट्रस्टी के विधिक उत्तराधिकारी एक से अधिक है तो विधिक उत्तराधिकारी आपसी सहमति से उनमें से कोई भी मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव हो सकेगा।

9. संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य तकनीकी संस्थायें जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे, की प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्य ट्रस्टी एवं ट्रस्टी मिलकर करेंगे यदि मुख्य ट्रस्टी व ट्रस्टियों द्वारा प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्य ट्रस्टी एवं ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबंध समिति हेतु नामित करेंगे।

10. ट्रस्ट प्रमुख

श्री चन्द्रशेखर मौर्य पुत्र स्व0 बलिराम मौर्य इस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव कहे जायेंगे जो ट्रस्ट प्रमुख होंगे उनके मृत्योपरान्त इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा इनको उत्तराधिकारी पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव प्रमुख ट्रस्टी होंगे।

11. ट्रस्ट की बैठक

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी/प्रबन्ध कारिणी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को 03 दिन पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलायी जा सकती है, बैठक अध्यक्ष के अनुमोदन से

चन्द्रशेखर मौर्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 317966

प्रबन्धक/सचिव द्वारा बुलायी जायेगी बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 ट्रस्टियों का होना आवश्यक है।

12. **बोर्ड ऑफ ट्रस्टी/प्रबन्ध कार्यकारिणी के अधिकारी एवं कर्त्तव्य**

1. अध्यक्ष : बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रत्येक सभा की अध्यक्षता करेंगे तथा मीटिंग बुलाने हेतु सचिव को निर्देशित करेंगे।

2. मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/सचिव

1 : संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

2 : मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिए गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।

3 : संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

4. : किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।

5 : आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं आयोजित करना।

चन्द्रशेखर मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 317967

6 : ट्रस्ट के विकास के सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

7 : ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आंतरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं न्यास के विकास के लिए विभिन्न संसाधन एकत्रित करना व ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

8 : मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि–भवन का क्रय लीज(पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों के निस्तारण की पैरवी करना।

9 : मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल–अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।

10 : मुख्यट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चन्दा, आम जनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।

चन्द्रशेखर मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EN 317968

11 : संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धक/सचिव के पास होगा।

12 : संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य का

कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसका उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।

13 : किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

14 : ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।

15 : ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रिया-कलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना।

चन्द्रशेखर मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24AA 641336

न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि से विवादित नहीं किया जा सकेगा न ही चुनौती दी जा सकेगी।

16 : ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रम, क्रिया कलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं पारिटेकुल कार्यों में व्यय करना।

17 : ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी / प्रबन्धक / सचिव की असामयिक अथवा स्वाभाविक मृत्यु के पश्चात उसका विधिक उत्तराधिकारी उसी पद पर नियुक्त समझा जायेगा।

18 : ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व एवं अध्यक्ष की अनुमति से वादों की पैरवी करना।

19 : संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रो, बैंको ट्रस्टी, बन्धक विलेखों, बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करना।

सदस्य ट्रस्टी : बैठकों में भाग लेकर ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

चन्द्रशेखर मौर्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 641337

13. लेखा परीक्षक

ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी के मार्ग दर्शन एव सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्ति किया जा सकेगा एवं मुख्यट्रस्टी द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यो को प्राप्त करने हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करवाना। संस्था के आय-व्यय बुही पत्रो प्रतिसत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्यट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना।

14. संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्ही ट्रस्टियों द्वारा किया जावेगा, जिसके लिए मुख्यट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियो के पदाधिकारियों के अधिकार कर्त्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना के अनुरुप होंगे।
3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्यट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर करेंगे तथा यदि प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं है तो मुख्यट्रस्टी व ट्रस्टी अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।

चन्द्रशेखर मौर्य

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 641338

4. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय, तकनीकी विद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यो का चयन मुख्यट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर करेंगे। संचालित संस्थान / महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी होंगे।

1.	अध्यक्ष	एक
2.	उपाध्यक्ष	एक
3.	प्रबन्धक / सचिव	एक
4.	उपप्रबन्धक / उपसचिव	एक
5.	कोषाध्यक्ष	एक
6.	लेखापरीक्षक / ऑडीटर	एक
7.	सदस्य	तीन

बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा, कोई भी ट्रस्टी जो ट्रस्ट के विरोधी गतिविधियां सम्मिलित पाया जाता है तो उसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी 2/3 बहुमत निष्कासित कर सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी अपने पदाधिकारियों एवं सदस्यों को आवश्यकतानुसार अधिकार देने हेतु सक्षम होगा।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्यट्रस्टियों द्वारा राजी व खुशी से बिना बहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारी जनों से सलाह मशवरा कर के लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

चन्द्रशेखर मौर्य

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AA 641339

हस्ताक्षर गवाह

मसविदाकर्ता

1. श्री निर्मल चौहान पुत्र स्व0 रामू राम
ग्रा0 व पो0 सुरहुरपुर,तह0मु0बाद गोहना
जनपद–मऊ
आधार सं0 218197750141

2. श्री सूर्यकान्त मौर्य पुत्र श्री ज्ञानचन्द मौर्य
ग्रा0 व पो0 काझा तह0मु0बाद गोहना
जनपद–मऊ
आधार नं0273145234587

सूर्य कान्त मौर्य

हस्ताक्षर मुख्य ट्रस्टी / प्रबन्धक

चन्द्रशेखर मौर्य पुत्र स्व0मतिराम मौर्य
ग्रा0 व पो0 करही,तह0मु0बाद गोहना
जनपद–मऊ
आई.डी आधार नं0 689347029994
मो0 7570025815

रजिस्टर्ड तारीख........

चन्द्रशेखर मौर्य